VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

जून - अगस्त 2024

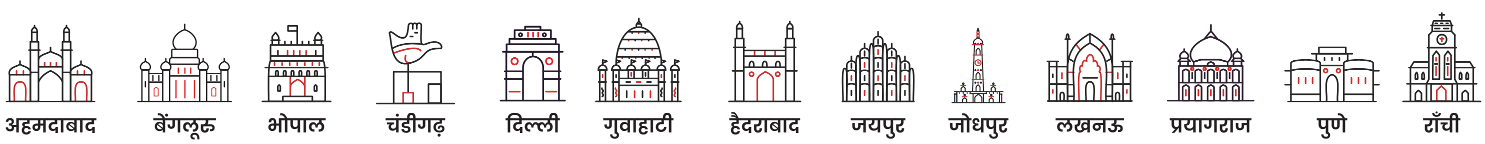

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

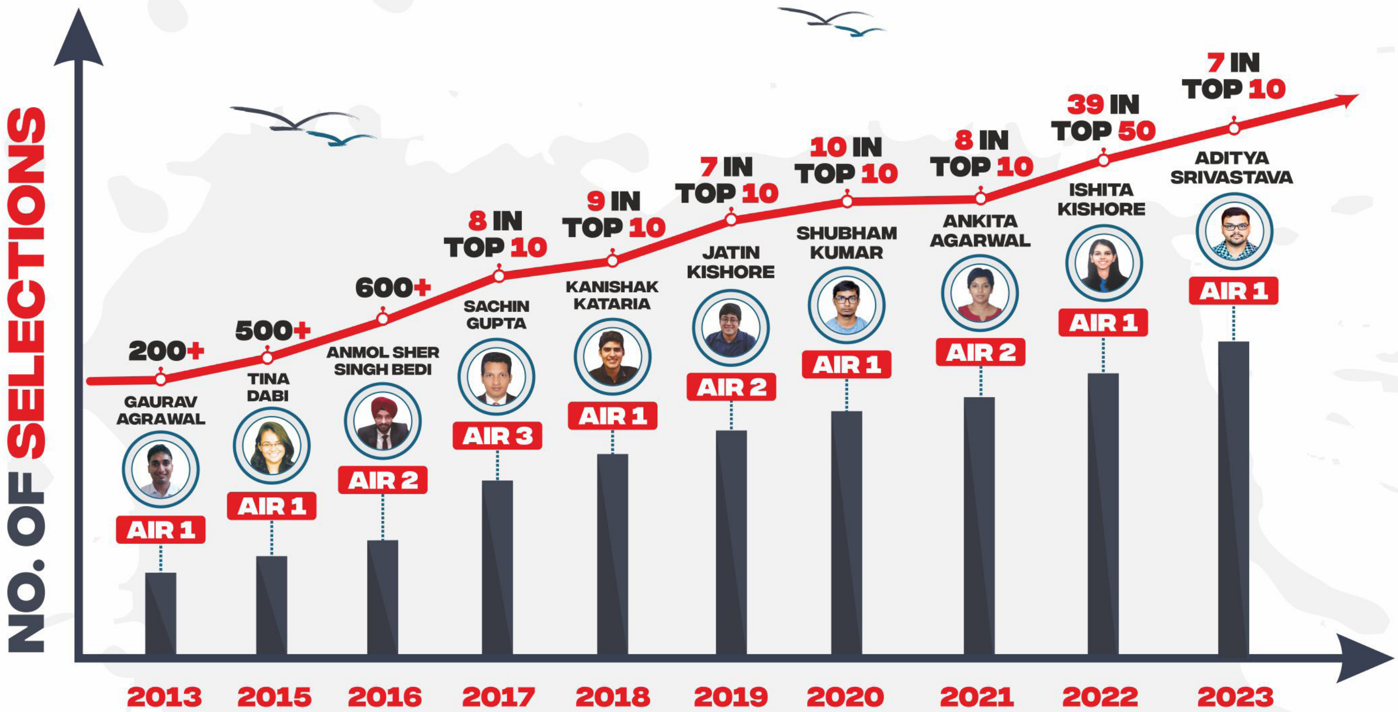

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 18 OCT, 5 PM | 19 NOV, 9 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 12 NOV, 6 PM

BENGALURU: 5 DEC | JAIPUR: 16 DEC | HYDERABAD: 11 NOV | JODHPUR: 3 DEC

LUCKNOW: 5 DEC | BHOPAL: 5 DEC | ADMISSION OPEN AHMEDABAD | CHANDIGARH | PUNE

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 20 नवंबर, 8 AM | JAIPUR: 16 दिसंबर | JODHPUR: 3 दिसंबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हमें **"सरकारी योजनाएं: त्रैमासिक रिवीजन (जून - अगस्त 2024)"** डॉक्यूमेंट जारी करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य निरंतर सीखने की प्रक्रिया को और बढ़ावा देना है।

इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अभ्यर्थी **कम समय में रिवीजन** कर सकेंगे और उसे याद भी रख सकेंगे, **ताकि परीक्षा की अंतिम घड़ी के दौरान तनाव कम रहे।**

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है:

- **सुर्ख़ियों में रही योजनाएं:** इस भाग में कमोबेश पिछली तिमाही के दौरान सुर्ख़ियों में रही योजनाओं को शामिल किया गया है।
- **सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं:** इस भाग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण भारत सरकार की "फ्लैगशिप योजनाओं" को शामिल किया गया है।
- **प्रश्नोत्तरी:** अपनी तैयारी और टॉपिक की समझ का परीक्षण करने के लिए दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास कीजिए।

आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है और हमें उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट आपके लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विषय-सूची

1. सुर्खियों में रही योजनाएं

1.1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

1.1.1. डिजिटल कृषि मिशन **5**

1.1.2. एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना **7**

1.2. वित्त मंत्रालय (MoF)

1.2.1. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) **9**

1.3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

1.3.1. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 **11**

1.4. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

1.4.1. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) **14**

1.5. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

1.5.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)-मिशन कर्मयोगी **16**

1.6. ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)

1.6.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (GRAMIN) **18**

2. केंद्र सरकार की मुख्य (फ्लैगशिप) योजनाएं

2.1. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) **21**

2.2 समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित **23**

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए **26**

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025

7 नवंबर 2024

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 9 माह का कार्यक्रम)

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 9.5 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 15000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।
- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

1.1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE: MoAFW)

1.1.1. डिजिटल कृषि मिशन (DIGITAL AGRICULTURE MISSION: DAM)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **डिजिटल कृषि मिशन** को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 2,817 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए किसान-केंद्रित डिजिटल और अंतरिक्ष-तकनीक आधारित व्यापक इकोसिस्टम का विकास करना।
- **योजना का प्रकार**: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। हालांकि, इसके तहत 'राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली सहायता' घटक केंद्र प्रायोजित है।
- **दो आधारभूत स्तंभ:** एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली
- **अपेक्षित लाभार्थी:** किसान

अन्य उद्देश्य

- देश में **किसान-केंद्रित मजबूत और समग्र डिजिटल इकोसिस्टम** का निर्माण करना।
- सरकारी पहलों के क्रियान्वयन में **पारदर्शिता और दक्षता** में सुधार करना।
- **तथ्यों/ आंकड़ों के आधार पर निर्णय** लेने में सरकार की सहायता करना।
- **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में नवाचार और साझेदारी** को बढ़ावा देना, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) की मुख्य विशेषताएं

- **DAM के प्रमुख घटक**
  - **कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI),** जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मैपिंग।
  - **डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (Digital General Crop Estimation Survey: DGCES)**
  - **महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC)** को सहायता।
  - पूर्ववर्ती **कृषि पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)** में शामिल कई गतिविधियां।
    - NeGP-A को 2010-11 में शुरू किया गया था और अब इसे DAM में शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को **कृषि संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग** करना है।
- **यह 2 आधारभूत पिलर्स पर आधारित है:**
  - **एग्री स्टैक (किसान की पहचान):** यह किसान-केंद्रित DPI है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है। **इसके 3 प्रमुख घटक हैं।**
  - **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS):** कृषि DSS एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो रिमोट सेंसिंग डेटा (उदाहरण के लिए- उपग्रह आधारित चित्र) को फसल, मृदा, मौसम और जल संसाधनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करता है। यह एकीकरण किसानों को स्पष्ट और विस्तृत भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अधिक सटीक कृषि निर्णय ले सकते हैं।

एग्रीस्टैक: किसान की पहचान

किसानों की रजिस्ट्री:
इसके तहत 'किसान ID' जारी की जाएगी। यह आधार नंबर के समान किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगा।

जियो-रेफ़रेंस्ड गाँव के नक्शे:
यह किसान ID को किसानों से संबंधित डेटा से जोड़ेगा। इस तरह के डेटा में भूमि रिकॉर्ड, जनसांख्यिकी, पारिवारिक विवरण, आदि शामिल होंगे।

फसल बुआई रजिस्ट्री:
यह मोबाइल-आधारित ग्राउंड सर्वे है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से किसानों द्वारा प्रत्येक मौसम में बोई गई फसलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

कृषि निर्णय सहायता प्रणाली

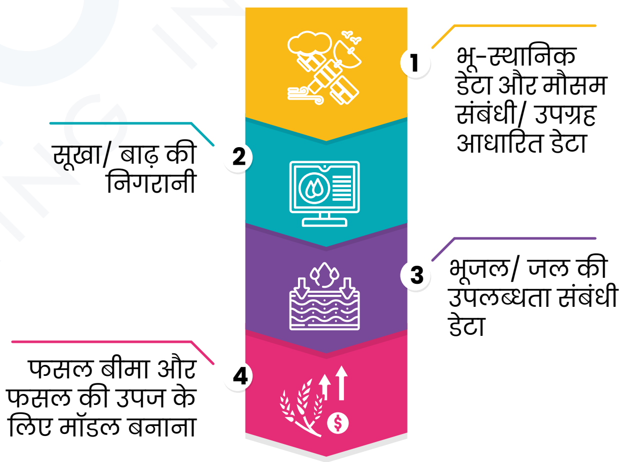

- **मृदा प्रोफाइल मैपिंग:** लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 1:10,000 स्केल पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मैपिंग की जाएगी।
  - **डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES)** यह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए **क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स** के आधार पर **उपज का अनुमान** प्रदान करेगा।
  - डेटा एनालिटिक्स, AI और रिमोट सेंसिंग जैसी **आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर,** यह मिशन किसानों के लिए फसल ऋण और रियल-टाइम सलाह सहित **सेवा वितरण में सुधार करेगा।**
- **डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कवर की जाने वाली MNCFC की प्रमुख गतिविधियां हैं:**
  - **"FASAL** (फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमीटरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन्स)" योजना के तहत प्रमुख फसलों का फसल रकबा और उत्पादन का अनुमान लगाना। **यह योजना बागवानी फसल का आकलन भी करती है।**
    - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना **(PMFBY)** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए MNCFC तकनीकी भागीदार भी है। यह फसल क्षेत्र के आकलन में त्रुटियों का विश्लेषण, स्मार्ट सैंपलिंग और उपज विवाद समाधान में तकनीक मदद करता है।
- **फसल मौसम निगरानी समूह को सहायता, सूखे की निगरानी तथा कृषि के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण** के लिए **राज्यों को सहायता।**

- **मुख्य लक्ष्य:**
  - तीन वर्षों में **11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान** जनरेट करना (वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़)।
  - **डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2 वर्षों में** पूरे देश में शुरू किया जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिले शामिल होंगे।

1.1.2. एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना {AGRISURE (AGRI FUND FOR START-UPS & RURAL ENTERPRISES) SCHEME}

संदर्भ

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना शुरू की है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीन, प्रौद्योगिकी आधारित, उच्च जोखिम वाले, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में सहायता करना।
- **वित्त-पोषण स्रोत:** भारत सरकार और नाबार्ड
- **निवेश प्रबंधक:** नबवेंचर्स लिमिटेड, जो कि नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- **वित्त-पोषण की अवधि:** 10 वर्ष

अन्य उद्देश्य

- **कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित स्टार्ट-अप्स के लिए निवेश अनुकूल माहौल** बनाना तथा उनकी निवेश आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाना।
- विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) में योगदान देकर **कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में अधिक निवेश आकर्षित करना।**
- **मौजूदा कृषि और कृषि-तकनीक/ एग्री-टेक स्टार्टअप्स को तरलता प्रदान करना** जो इक्विटी, ऋण स्रोतों जैसे विभिन्न प्रकार के वित्त-पोषण साधनों तक पहुंच की कमी के कारण अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं।
- **युवा उद्यमियों को** कृषि और कृषि-तकनीक में उच्च जोखिम वाली, परन्तु उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए **प्रोत्साहित करना।**
- कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रणाली को मजबूत बनाने और कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए **लाभदायक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रणालियों के अवसरों को बढ़ावा देना।**
- कृषि को व्यवसाय के रूप में देखने वाले तकनीकी रूप से योग्य ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए **अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना।**
- ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्रक से जोड़े रखना और समय-समय पर **नवीन तकनीकें, विधियां और उपकरण उपलब्ध कराकर युवा पीढ़ी को कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।**

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2022-23 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि सह-निवेश मॉडल के तहत मिश्रित पूंजी वाला एक कोष नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
  - इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्ट-अप्स को वित्त-पोषित करना है, जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए उपयोगी है।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** इस कोष की अवधि समाप्त होने तक लगभग 85 स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान की जाएगी।
  - कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रक में कार्य करने वाले स्टार्ट-अप्स में फिलहाल निम्नलिखित शामिल हैं:-
    - ◊ कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कृषि मशीनीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राथमिक सहकारी समितियों के विकास सहित कृषि मूल्य श्रृंखला, FPOs के लिए सहायता, खेत स्तर पर प्रौद्योगिकी सहायता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना।

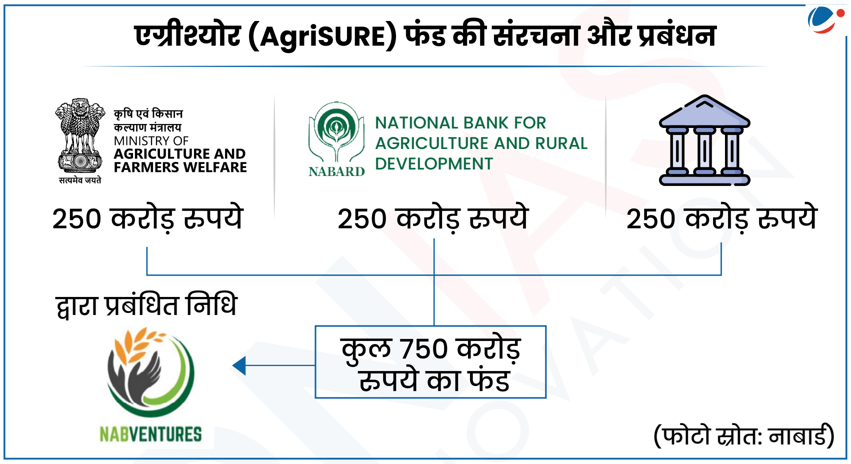

(फोटो स्रोत: नाबार्ड)

- **इस कोष के तहत दो योजनाएं शुरू की गई हैं:**
  - **एग्रीश्योर - FAO योजना:**
    - ◊ **उद्देश्य:-श्रेणी I और श्रेणी II के ऐसे वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs)** का वित्त-पोषण करना जो आगे स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं। यह योजना SEBI-पंजीकृत सेक्टर-एग्नॉस्टिक, सेक्टर-विशिष्ट और ऋण AIFs में निवेश करेगी।
    - ◊ **कुल आवंटन:** 450 करोड़ रुपये
    - ◊ **किसी एक AIF में निवेश की अधिकतम सीमा:** AIF के कोष का 5 प्रतिशत या 25 करोड़ रुपये, दोनों में से जो भी कम हो।
  - **एग्रीश्योर- प्रत्यक्ष योजना:**
    - ◊ **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश करना है। यह निवेश उन स्टार्ट-अप्स के लिए होगा जिन्हें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो भारत में निगमित हैं।
    - ◊ **कुल आवंटन:** 300 करोड़ रुपये
    - ◊ **किसी एक स्टार्ट-अप में निवेश की अधिकतम सीमा:** AIF विनियमों के अधीन 25 करोड़ रुपये।

1.2 वित्त मंत्रालय (MoF) {MINISTRY OF FINANCE (MoF)}

1.2.1. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA: PMMY)

संदर्भ

नीति आयोग और KPMG ने **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के प्रभाव आकलन पर एक रिपोर्ट जारी** की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: एक समावेशी, संधारणीय और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का विकास करना।**
- **मुद्रा (MUDRA): यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में और RBI के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत है।**
- **अपेक्षित लाभार्थी**: कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्रक में आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है।

उद्देश्य

बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना। साथ ही, अंतिम व्यक्ति को भी वित्त प्रदान करने वाले वित्त प्रदाताओं (last Mile Financers) द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/ लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/ सूक्ष्म** उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- **मुद्रा:** माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA/ मुद्रा) **सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) के पुनर्वित्त** के लिए जिम्मेदार है। **केंद्रीय बजट 2015-16 में भी इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।**
    - मुद्रा (MUDRA) का उद्देश्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) जैसे लास्ट माइल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त-पोषण उपलब्ध कराना है।

- **मुद्रा योजना के तहत ऋण:** माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) स्वयं **सूक्ष्म उद्यमियों/व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता है।** इसकी बजाय **यह ऋण देने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करती है।**
    - **सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के माध्यम से ऋण:** योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक, निजी क्षेत्रक के बैंक, राज्य संचालित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), लघु वित्त बैंक (SFBs) आदि पात्र उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।
        - ऋण का आवेदन उपर्युक्त में से किसी भी संस्था से संपर्क करके किया जा सकता है **या www.udyamimitra.in** पोर्टल पर **ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।**
- **मुद्रा ऋण:** सभी प्रकार के **विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रक गतिविधियों तथा कृषि से संबद्ध गतिविधियों** (जैसे खाद्य प्रसंस्करण) को मुद्रा ऋण मिल सकता है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण के प्रकार

शिशु	किशोर	तरुण
50,000 रुपये तक	50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक	5 लाख से लेकर 20 लाख रुपये तक **(बजट 2024 में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया)**

- **मुद्रा कार्ड**
    - यह एक प्रकार का **डेबिट कार्ड** है, जिसे मुद्रा ऋण खाते के एवज में जारी किया जाता है।
    - इसे **एक से अधिक बार आहरण** और ऋण लेने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कार्यशील पूंजी की सीमा का लागत-कुशल तरीके से प्रबंधन किया जा सके और **ब्याज के बोझ को न्यूनतम रखा जा सके।**
- **ऋण पर सब्सिडी नहीं दी जाती:** PMMY के तहत दिए जाने वाले ऋण पर **कोई सब्सिडी नहीं दी जाती।** हालांकि, RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण प्राप्तकर्ताओं को गिरवी रखने (कोलेटेरल) के लिए मजबूर नहीं करें।
- **क्रेडिट गारंटी:** संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए, **क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को "क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड" (CGFMU)"** नामक एक कोष की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है।
- इस योजना का प्रबंधन **'राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)'** द्वारा किया जा रहा है।

योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रमुख पहल

- हितधारकों के बीच योजना की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए **व्यापक प्रचार अभियान**
- **ऋण आवेदन सबमिट करने हेतु सहायता** प्रदान करना
- **PSB loans In 59 minutes** और **उद्यमीमित्र पोर्टल** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों का प्रावधान
- सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) में **मुद्रा नोडल अधिकारी**
- PMMY के संबंध में **PSBs के प्रदर्शन की आवधिक निगरानी**

योजना से जुड़ी मुख्य चिंताएं

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से जुड़ी चिंताएं:** कोलेटेरल के अभाव में बैंकों के लिए NPA का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे वे असुरक्षित ऋण देने से बचते हैं।
- **कोई सब्सिडी नहीं:** इससे ऋण लेने वालों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और नए ऋण लेने से लोग हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **जरूरतमंदों को बैंकों से ऋण नहीं मिलना:** वित्तीय सेवाएं कमजोर वर्गों एवं दूरदराज के क्षेत्रों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है।
    - ग्राहकों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है।

मुद्रा योजना की सफलता के लिए **बेहतरीन डिजाइन प्रक्रिया, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और दक्ष प्रशासन की आवश्यकता है,** ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होने के साथ-साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।

1.3 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS: MoHUA)

1.3.1. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA-URBAN 2.0)

संदर्भ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-U 2.0 योजना को मंजूरी दी और 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी घरों के निर्माण के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी का विस्तार करने का निर्णय लिया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना।
- **योजना का प्रकार:** ब्याज सब्सिडी घटक (ISS) **'केंद्रीय क्षेत्रक की योजना'** है। शेष अन्य घटक **'केंद्र प्रायोजित योजना'** है।
- **योजना में परिवार की परिभाषा:** इस योजना के तहत एक परिवार में **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे** शामिल होते हैं।
- **योजना की अवधि: वित्त वर्ष 2028-29 तक (5 वर्ष)**

अन्य उद्देश्य

- पात्र लाभार्थियों/ परिवारों / कार्यान्वयन एजेंसियों को **किफायती लागत पर मकान बनाने, खरीदने या किराए पर देने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना।**

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMAY-U योजना को 2015 में 'सभी के लिए आवास (Housing for All)' के लक्ष्य के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम में रहने लायक पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।
  - नए शहरों/ कस्बों के निर्माण और शहरीकरण की तेज़ गति के कारण **शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।**
- **केंद्रीय बजट 2024** में घोषणा की गई है, कि PMAY-U 2.0 के तहत, अगले 5 वर्षों में 1 **करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।**

- **लाभार्थी:**
  - **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):** EWS के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये या इससे कम है, वे सभी चारों वर्टिकल्स के लिए पात्र होंगे।
  - **निम्न आय वर्ग (LIG):** LIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3-6 लाख रुपये के बीच है। वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए पात्र होंगे।
  - **मध्यम आय समूह (MIG):** MIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6-18 लाख रुपये के बीच है, वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए पात्र होंगे।

PMAY- U के 4 वर्टिकल्स

लाभार्थी द्वारा घर निर्माण (BLC)	साझेदारी में वहनीय आवास (AHP)	वहनीय रेंटलआवास (ARH)	ISS ब्याज सब्सिडी योजना
EWS लाभार्थियों द्वारा अपनी जमीन पर घर का निर्माण	EWS लाभार्थी द्वारा पब्लिक/ निजी क्षेत्र की एजेंसियों/ सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों की आवास योजनाओं में आवंटित आवास की खरीद	सरकार द्वारा वित्त-पोषित खाली आवासों को PPP मोड में या सरकारी एजेंसियों द्वारा ARH में बदलना	अधिकतम ऋण मूल्य 25 लाख रुपये, अधिकतम आवास मूल्य 35 लाख रुपये। 5 वार्षिक किस्तों में ऋण सब्सिडी

- **योजना के लिए पात्र नहीं:** इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास **भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान हो।**
- **आवासों की गुणवत्ता**
  - **घरों में बुनियादी सुविधाएं: जल, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, विद्युत** जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **सुरक्षा:** घरों को भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि को सहने लायक बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से युक्त होना चाहिए।
    - मकानों को **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC)** और **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संहिता** के मकानों से संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
  - **AHP और ARH परियोजनाएं:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगे:
    - दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए **बाधा रहित पहुँच हेतु** रैंप एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण।
    - **वर्षा जल संचयन प्रणाली** का प्रावधान।
    - **सौर ऊर्जा प्रणाली,** विशेष रूप से सामान्य सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
    - परियोजना स्थल पर **पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जाएगा।**
- **वित्त-पोषण तंत्र:** इस मिशन के तहत **40% व्यय सरकार द्वारा** तथा **60%** व्यय लाभार्थी सहित **निजी निवेशकों** द्वारा किया जाता है।

PMAY-U की अन्य विशेषताएं

महिला सशक्तीकरण:	इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस:	सुभेद्य या कमज़ोर लाभार्थियों को प्राथमिकता,	5 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि:	RERA 2016	समन्वय या कन्वरजेंस:	लाभार्थी की पहचान:
केवल उन मामलों में ही ऐसा घर पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो	वहनीय आवास क्षेत्रक को	जैसे- विधवा, सिंगल महिला, दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर आदि	लाभार्थी को लॉक-इन अवधि के दौरान घर बेचने/ हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है	(यदि लागू है) और राज्य के अन्य कानूनों का पालन।	अमृत 2.0, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन, SBM-अर्बन 2.0 आदि के साथ	इसके लिए आधार/ आधार वर्चुअल आईडी का उपयोग, ताकि दोहराव से बचा जा सके

- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप-मिशन (Technology & Innovation Sub-Mission: TISM): जलवायु स्मार्ट इमारतों एवं मजबूत आवास के लिए आपदा-रोधी और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लागू करने में** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ शहरों की सहायता करना।
  - MoHUA ने दुनिया भर में उपलब्ध सर्वोत्तम निर्माण तकनीकों की पहचान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए एक **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज** शुरू किया है।

* **औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास**: उद्योगों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने कर्मचारियों (चाहे वे संविदा पर हों या नियमित) के लिए किराये की आवास सुविधाओं की योजना बनाएं और उपलब्ध कराएं।
* **हुडको से ऋण:** PMAY-U 2.0 को लागू करने वाले राज्य/ UTs/ ULBs/ पैरास्टेटल्स और अन्य सार्वजनिक/ निजी एजेंसियां वहनीय घरों के निर्माण के लिए हुडको से सस्ती दरों पर ऋण ले सकती हैं।
* **जागरूकता सृजन:** इस योजना के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)** गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
    * राज्य/ UTs/ ULBs अनिवार्य रूप से योजना के अंतर्गत निर्मित **सभी आवास इकाइयों के सामने 'PMAY-U 2.0 लोगो' को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे।**
* **पारदर्शिता और निगरानी:**
    * **शहर** एकीकृत वेब-पोर्टल पर **शहर-वार आवास योजना का विवरण ऑनलाइन प्रारूप में प्रदर्शित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाएंगे।**
    * योजना के तहत निर्मित घरों की प्रगति को विभिन्न चरणों में **जियो-टैगिंग** और **अन्य डिजिटल मापदंडों** के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।
    * राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश मिशन के BLC/ AHP/ ARH वर्टीकल के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **थर्ड पार्टी गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों** को नियुक्त करेंगे।
* **शिकायत निवारण:** राष्ट्रीय/ राज्य/ शहर स्तर पर एक उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी।
    * MoHUA ने PMAY-U के कार्यान्वियन और उसके त्वरित निपटान के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए एक सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली विकसित की है जो PMAY-U 2.0 की संपूर्ण क्रियान्वयन अवधि तक जारी रहेगी।
* **कार्यान्वियन एजेंसियां (IAs): शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड, निजी डेवलपर** जैसी एजेंसियां जिनका चयन राज्य सरकार/ राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (SLSMC) द्वारा किया जाता है।
* **मध्यावधि मूल्यांकन:** शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग पर योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा।
* **PMAY-G के तहत लाभों पर प्रभाव:** लाभार्थी अपने निवास स्थान के अनुसार PMAY-G या PMAY-U 2.0 में लाभ उठा सकते हैं।

योजना से जुड़ी मुख्य चिंताएं

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में PMAY 2.0 से जुड़ी निम्नलिखित चिंताओं को रेखांकित किया गया है

* **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** जल, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं के अभाव के कारण कई घर नहीं बन पाए।
* **लाभार्थियों पर लागत का अधिक बोझ:** लाभार्थियों द्वारा अधिक खर्च वहन करना (60% तक) अपने घर का सपना महंगा बना देता है, खासकर उन राज्यों में जहां सरकारें अपने हिस्से का योगदान करने में विफल रहती हैं।
* **लाभार्थी द्वारा निर्माण (BLC) पर अधिक जोर:** स्वीकृत मकानों में से 60% BLC योजना के अंतर्गत हैं, जिसका लाभ उन लोगों को मिलता है जिनके पास शहर में भूमि है, लेकिन अनेक शहरी बेघर लोग भूमिहीन हैं।

PMAY2.0 में अधिक घरों के प्रावधान, मध्यावधि मूल्यांकन, जियोटैगिंग और अन्य योजनाओं के साथ समन्वय से PMAY 1.0 से जुड़ी चिंताओं का समाधान होने की उम्मीद है।

1.4 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY: MNRE)

1.4.1. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) {Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)}

संदर्भ

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 30.06.2024 तक **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना** के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या लगभग 4.1 लाख है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** किसानों को खेती हेतु सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **मांग आधारित योजना:** सब्सिडी हेतु धन का आवंटन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है।
- **योजना की अवधि: 2026 तक**

अन्य उद्देश्य

- 2022 तक 30.8 गीगावाट (GW) की सौर क्षमता प्राप्त करना। मूलतः, यह लक्ष्य 25.7 GW का था।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: पी.एम. कुसुम (PM KUSUM)** को 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्रक में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और **बंजर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित** करना है।
    - इसकी शुरुआत के बाद से, सिंचाई के लिए **4 लाख डीजल और बिजली से चलने वाले जल-पंपों को सौर जल-पंपों से बदल दिया गया है।** इससे कृषि कार्यों से होने वाले उत्सर्जन में भारी कमी आई है और किसानों के लिए बचत में वृद्धि हुई है (CSE)।

योजना के मुख्य घटक

- **लाभार्थी:** योजना के तीन घटकों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि **सभी श्रेणियों के किसानों; सीमांत, लघु, मध्यम और बड़े किसान** (भूमि जोत के आधार पर विभाजित) को इसका लाभ मिल सके।
    - **घटक-A:** व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर, सहकारी समितियां, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन

- घटक-B और C: लाभार्थियों में व्यक्तिगत किसान, किसानों के समूह, क्लस्टर सिंचाई प्रणाली, जल उपयोगकर्ता संघ (WUA), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS)/ क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली शामिल हैं।

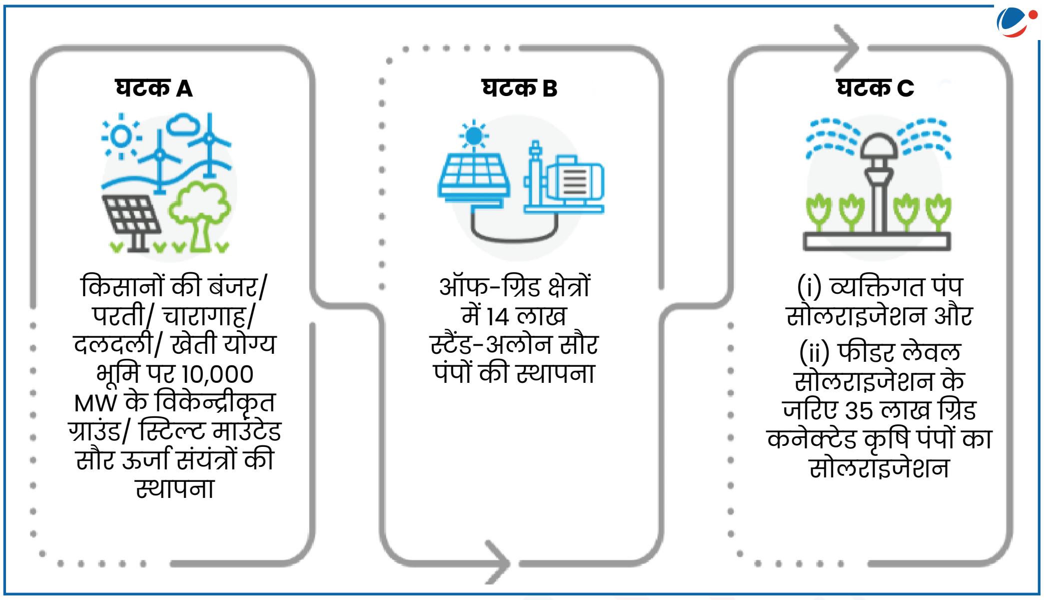

- **वित्तीय सहायता:**
  - **घटक-A के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहन:** योजना के तहत आगामी पांच वर्षों के लिए MNRE द्वारा डिस्कॉम्स को प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव (PBI) प्रदान किया जाएगा। यह इंसेंटिव 40 पैसे/ किलोवाट-घंटा या ₹6.60 लाख/ मेगावाट/ वर्ष, जो भी कम हो, के रूप में होगा। यह सहायता किसानों या डेवलपर्स से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए दी जाएगी।
  - **घटक-B और C के लिए सब्सिडी:**
    - इसके तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) **बेंचमार्क लागत का 30% की दर से या स्टैंड-अलोन पंप की निविदा लागत** या मौजूदा पंप का सोलराइजेशन**, जो भी कम हो,** लाभार्थी को प्रदान किया जाता है।
      - पूर्वोत्तर राज्यों को **50%** CFA प्रदान की जाती है। इन राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। साथ ही, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को भी **50% CFA** प्रदान की जाती है।
    - इसके अतिरिक्त, संबंधित **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को कम-से-कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।**
- **सोलराइजेशन के लिए भूमि का पट्टा:** पी.एम.-कुसुम योजना में किसानों से लीज पर ली जाने वाली भूमि की कीमत तय नहीं की गई है। हालांकि, **राज्य** मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन और फीडर स्तर के सोलराइजेशन के लिए **भूमि पट्टे की दरों की घोषणा कर सकते हैं।**

योजना से जुड़ी मुख्य चिंताएं

CSE के एक अध्ययन के अनुसार, योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का केवल 30 प्रतिशत ही अब तक हासिल किया जा सका है। कुछ मुख्य चिंताएं इस प्रकार हैं:

- **किसानों द्वारा उच्च अग्रिम लागत का भुगतान:** ऐसा इसलिए है क्योंकि सौर पैनल के कच्चे माल, पॉलीसिलिकॉन की कीमत 2020-21 के दौरान लगभग छह गुना बढ़ गई है।
- **किफायती विकल्प की उपलब्धता:** किसानों के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली के पानी के पंपों से सौर जल पंपों पर जाने के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है।
- **विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग क्षमताओं के पंप की अनुपलब्धता:** पंप क्षमता उस शक्ति को प्रभावित करती है जिससे जमीन के नीचे से पानी खींचा जाएगा, साथ ही कितनी ऊंचाई या कितनी लंबी दूरी तक जा सकता है।
  - जहां नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में 15 HP तक की सभी पंप क्षमताओं का उल्लेख किया गया है, इनमें से कुछ पंप कुछ राज्यों में उपलब्ध नहीं हैं।
- **घटक A और C के तहत कमजोर कार्यान्वयन:**
  - यह योजना **घटक A के तहत कोई सब्सिडी प्रदान नहीं** करती है और डेवलपर्स के पास ऋण के लिए पर्याप्त कोलेटरल नहीं होने के कारण बैंक इसके तहत ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे।
  - घटक C से जुड़ी चुनौतियों में राज्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा **कम टैरिफ को मंजूरी** देना शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप **किसान योजना के इस घटक में भाग लेने में रुचि नहीं दिखाते** हैं।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सौर वाटर पंपों के लिए किसान सब्सिडी में वृद्धि, कार्यान्वयन में **अधिक विकेन्द्रीकृत मॉडल** अपनाना, सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले राज्यों में पी.एम.-कुसुम को बढ़ावा देना, अग्रिम लागत के लिए किश्तों में भुगतान का प्रावधान जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

1.5 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS)

1.5.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)-मिशन कर्मयोगी {National Programme For Civil Services Capacity Building (NPCSCB) - Mission Karmayogi}

संदर्भ

हाल ही में, **क्षमता निर्माण आयोग (CBC) की स्थापना के तीन वर्ष पूरे** हुए। इसका गठन **राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)-मिशन कर्मयोगी** के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** यह **सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का निर्धारण करता है।
- **योजना का कवरेज:** यह **कार्यक्रम** केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवकों** के लिए है। इसके तहत **कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर** किया गया है
- **My iGOT:** यह अधिकारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।
- **क्यूरेटेड कार्यक्रम: यह कार्यक्रम, मंत्रालयों/ विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता** है।

अन्य उद्देश्य

- **भारतीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण दृष्टिकोण को बदलने** के लिए एक मजबूत **डिजिटल इकोसिस्टम/ परिवेश** की स्थापना करना। इससे अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु कभी भी, कहीं भी **निरंतर सीखने** में सक्षम बनाया जा सकेगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **मिश्रित कार्यक्रम:** इसमें **सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच** सुनिश्चित की जाएगी। इसमें **ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत** किया जाएगा।
    - **विकास/ VIKAS (वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट):** यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है।
    - **12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई-लर्निंग पाठ्यक्रम** विकसित किए गए हैं।
- **मुख्य बिंदु/ दृष्टिकोण:**
    - सिविल सेवकों के कार्य आवंटन को **पद की आवश्यकता के साथ उनकी क्षमताओं को जोड़ते हुए** तय करना।

- ‘ऑफ-साइट लर्निंग’ के साथ-साथ **‘ऑन-साइट लर्निंग’** पर जोर देना।
- **साझा प्रशिक्षण अवसंरचना के एक इकोसिस्टम** का निर्माण करना, जिसमें लर्निंग सामग्री, संस्थान और कार्मिक शामिल हैं।

- **अमृत ज्ञान कोष पोर्टल:** भारत-केंद्रित केस स्टडीज प्राप्त करने के लिए साझा शिक्षण संसाधन ज्ञान बैंक।
- **फैकल्टी विकास पोर्टल:** सिविल सेवकों को बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और फैकल्टी का प्रशिक्षण।
- **संस्थानिक संरचना:**
  - **प्रधान मंत्री की मानव संसाधन (PMHR) परिषद**
  - **मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय यूनिट**
  - **क्षमता विकास आयोग**
  - **कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पज व्हीकल (एक गैर-लाभकारी कंपनी)**
- **कर्मयोगी प्रारंभ** एक प्रकार का **ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम** है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य **‘रोजगार मेलों’** से भर्ती किए गए सभी **नए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान** करना है।
  - कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम **आठ पाठ्यक्रमों का एक सेट** है, जिन्हें रोजगार मेले से भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है।
- **संभावित प्रभाव:** भविष्य में **1.5 करोड़ सरकारी अधिकारियों** को प्रत्यक्ष लाभ होगा और सिविल सेवाओं द्वारा सशक्त बनने वाले **नागरिकों** पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ

नीतिगत फ्रेमवर्क (Policy Framework)	क्षमतागत फ्रेमवर्क (Competency Framework)	संस्थागत फ्रेमवर्क (Institutional Framework)	iGOT-कर्मयोगी	ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS)	निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क
नई प्रशिक्षण नीतियां, जिसमें लगातार ज्ञान अर्जित करने तथा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा	स्वदेशी क्षमतागत फ्रेमवर्क के जरिए “नियम (Rule) से भूमिका (Role)” में तब्दील होना	PMHR परिषद द्वारा निगरानी की जाएगी	व्यापक स्तर पर लर्निंग प्लेटफॉर्म	रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन	लगातार कार्य निष्पादन विश्लेषण, डेटा आधारित लक्ष्य निर्धारण तथा वास्तविक समय में निगरानी

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी से जुड़ी चिंताएं

- **विस्तार:** विविध स्तरों पर बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों (1.5 करोड़) के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की पहल को प्रभावी ढंग से बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अति-केंद्रीकरण:** प्रशिक्षण और सीखने के लिए केंद्रीकृत संस्थागत ढांचे पर जोर देने से **राज्यों की ओर से प्रतिरोध** का सामना करना पड़ सकता है। इससे मिशन का कार्यान्वयन और वांछित परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
- **व्यावहारिक कार्य के अनुरूप प्रशिक्षण में कठिनाई:** नागरिकों के विशिष्ट मुद्दों, जरूरतों और मांगों का समाधान करने हेतु सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - उदाहरण के लिए, हिमालयी राज्यों में सिविल सेवकों के सामने आने वाले मुद्दे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों से काफी अलग हैं।

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक साहसिक पहल है, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करने और मौजूदा प्रणाली में जटिलता, लालफीताशाही और खंडित रूप से कार्य करने की संस्कृति जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, सिविल सेवकों की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार विकसित होते प्रशिक्षण कार्यक्रम; राज्यों के साथ सहयोग आदि सिविल सेवाओं में सुधार ला सकते हैं। साथ ही, सिविल सेवकों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

1.6 ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) {MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (MoRD)}

1.6.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान **प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)** के कार्यान्वयन को मंजूरी दी और **दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** 2024 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक
- **लाभार्थियों की पहचान:** सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना-2011 **(SECC 2011)** के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों तथा **आवास+ सर्वेक्षण** (केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित) के आधार पर।

अन्य उद्देश्य

- पिछले चरण के कुल 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31.03.2024 तक पूरे नहीं किए गए शेष 35 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **2 करोड़ से अधिक** मकानों का निर्माण किया जाएगा (जिससे लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है)।
- इस पहल से लाभार्थियों को सुरक्षित रहने, स्वच्छ वातावरण में रहने और समाज का एक अभिन्न अंग बनने में मदद मिलेगी।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMAY-G को 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना था और इसका लक्ष्य **मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधा युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण** करना था।
  - फरवरी 2024 तक, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्र लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- अब इस योजना को **आवास+ (2018) सूची (अपडेशन के बाद) और SECC 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में शेष पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।**

- **लाभार्थियों का चयन:**
  - **SECC-2011 डेटा और आवास+ की अंतिम सूचियों में आवास की कमी** तथा अन्य सामाजिक अभाव मापदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान व चयन, और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन।
    - ◊ **आवास+** को संभावित पात्र परिवारों का विवरण प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें **वर्तमान आवास की जियो-टैग्ड तस्वीर** और **PMAY-G घर के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल** शामिल है।
    - ◊ **आवास+ सर्वेक्षण जनवरी 2018-मार्च 2019 के दौरान** आयोजित किया गया था और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके प्राप्त संभावित परिवारों के विवरण को सत्यापित और मान्य किया जाएगा और उसके बाद तैयार परिवारों की अंतिम सूची को स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जा सकता है।
  - **तीन-चरणीय सत्यापन** (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो-टैगिंग)।

लाभार्थी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निम्न-आय समूह (LIGs)	मध्यम आय समूह (MIGs)
3 लाख रुपये तक	3 से 6 लाख रुपये तक	6 से 18 लाख रुपये तक

पारिवारिक आय (रुपये प्रति वर्ष)

- **लाभार्थियों का बहुस्तरीय प्राथमिकता निर्धारण:** प्राथमिकता पहले प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य में आवास रहित परिवारों को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
  - **'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों में से हों, तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।
  - **ग्राम सभा** (या संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की जमीनी स्तर की इकाई) द्वारा **प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन।**
- **लाभार्थियों को वित्तीय सहायता:**
  - **अनुदान:** प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये (मैदानी क्षेत्रों में) और 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी राज्यों/ पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम क्षेत्रों/ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्रों/ IAP/ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में) का 100% अनुदान दिया जाता है।
  - **ऋण:** इच्छुक लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।
- **अकुशल श्रम मजदूरी के लिए लाभार्थियों को सहायता:** मनरेगा के तहत 90/ 95 व्यक्ति दिवस का कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता।
- **अन्य योजनाओं के साथ तालमेल:** प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

निगरानी

- जिला स्तर पर संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला विकास **समन्वय एवं निगरानी (दिशा) समिति**
- **केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी**
- **राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर**
- **आवास सॉफ्ट:** PMAY-G के लिए द्विभाषी व वेब-आधारित ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म
- **आवास ऐप:** घर निर्माण की प्रगति की रियल टाइम निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन
- MoRD के अंतर्गत **प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड**
- **सोशल ऑडिट और आंतरिक लेखा परीक्षा**

- **सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना:** जहां भी संभव हो, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला को इकाई के रूप में अपनाना।
- **शिकायत निवारण तंत्र:**
  - शिकायत प्राप्ति की तिथि से **15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत निवारण।**
  - प्रशासन के विभिन्न स्तरों; ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य पर तंत्र स्थापित किया गया है।
  - **केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** पोर्टल (pgportal.gov.in) पर जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराना।

- **मध्यावधि मूल्यांकन:** नीति आयोग द्वारा PMAY-G के मूल्यांकन और EFC द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद मार्च, 2026 से आगे योजना को जारी रखना।
- **अन्य योजनाओं के साथ तालमेल:** बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, खाना पकाने के लिए स्वच्छ और दक्ष ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का उपचार आदि के प्रावधान के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल।
- **राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA):** सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई।
- **क्षमता निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के सहयोग से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (RMT) कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **ग्रीनहाउस का निर्माण:** आपदा सहने वाली विशेषताओं को शामिल करते हुए घर के डिजाइन बनाना जो स्थानीय भू-जलवायु स्थितियों के लिए उपयुक्त हों।

योजना से जुड़ी मुख्य चिंताएं

ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित मुख्य चिंताएं:

- **लाभार्थियों का चयन:** योजना के लिए चिन्हित कुल 4.3 करोड़ व्यक्तियों में से ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन के बाद केवल 2.32 करोड़ ही पात्र हो पाए हैं।
  - लाभार्थियों की पहचान का **राजनीतिकरण किए जाने आशंका** रहती है।
  - प्रवासन और मृत्यु के आधार पर पात्र परिवारों को ख़ारिज करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रवासी अंततः अपने गांवों को लौट जाते हैं, और मृत्यु की स्थिति में स्वामित्व हस्तांतरण हो जाता है।
- **वित्तीय सहायता:** लाभार्थियों को बैंकों में अधिक मूल्य गिरवी रखने और उच्च ब्याज दरों के कारण मकान निर्माण के लिए 70,000 रुपये का ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **अन्य योजनाओं के साथ तालमेल:** PMAY-G को अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) आदि के साथ तालमेल में समस्या आती है।

लाभार्थियों की समुचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की पहचान में ग्राम सभाओं और पंचायतों की भूमिका को कम करना तथा सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए निजी/ गैर-सरकारी संस्थाओं को शामिल करना; कम कोलेटरल (ऋण हेतु गिरवी) आवश्यकता और **कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना;** विभिन्न योजनाओं से जुड़े मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना, योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना प्रमुख कदम हैं।

2. केंद्र सरकार की मुख्य (फ्लैगशिप) योजनाएं (FLAGSHIP SCHEMES IN FOCUS)

2.1. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

संदर्भ

हाल ही में प्रधान मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव लाने में PMKSY की व्यापक भूमिका की सराहना की।

अन्य स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना
- **संबंधित मंत्रालय:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **योजना की अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

उद्देश्य

- **खेत से खुदरा बिक्री केंद्र** तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ **आधुनिक अवसंरचना** का निर्माण करना।
- **किसानों को बेहतर रिटर्न** प्रदान करने और **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर** पैदा करने में मदद करना।
- **कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात** को बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र ने 2020 तक कार्यान्वियन के लिए 2017 में अंब्रेला योजना **SAMPADA** (स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स) को मंजूरी दी थी।
  - बाद में इस योजना का नाम बदलकर **'प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)' कर दिया गया और इसके कुछ घटकों को बंद कर दिया गया** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **PMKSY के घटक:**
  - **एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य वर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन):** खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित कोल्ड चेन भंडारण

अवसंरचना की सुविधा उपलब्ध करवाना।

- ◊ इस अवसंरचना श्रृंखला की स्थापना **कंपनियों, स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** आदि द्वारा की जाती है।
- ◊ योजनाओं के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना** के तहत फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा रही है।

SAMPADA के ऐसे घटक, जिन्हें PMKSY के तहत जारी नहीं रखा गया

- मेगा फूड पार्क
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
- जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु या HACCP (खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे का हिस्सा)
- प्रचारात्मक गतिविधियों से संबंधित कौशल विकास (मानव संसाधन और संस्थानों का हिस्सा)

- **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) के लिए अवसंरचना का निर्माण:** APC का उद्देश्य मेगा फूड पार्क के समान है, यानी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर।
  - ◊ योजना के तहत प्रत्येक APC में दो बुनियादी घटक होते हैं-
    - » **बुनियादी इनेबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर** (सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, जल निकासी, ETP आदि)
    - » **कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर/ सामान्य सुविधाएं** (वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, IQF, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग आदि)
  - ◊ APC की स्थापना हेतु **कम-से-कम 50 वर्षों के लिए खरीद या पट्टे की कम-से-कम 10 एकड़ भूमि** की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- **खाद्य प्रसंस्करण और प्रिजर्वेशन क्षमताओं का सृजन/ विस्तार (इकाई योजना):** इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं प्रिजर्वेशन क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/ विस्तार करना है।
  - ◊ यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ अपग्रेडेशन/ आधुनिकीकरण में लगे **केंद्रीय और राज्य PSUs/ संयुक्त उद्यम/ FPOs/ NGOs/ सहकारिता/ SHG's/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/ व्यक्तिगत स्वामित्व फर्मों जैसे संगठनों** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- **फूड सेफ्टी तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL):** यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में **गुणवत्ता नियंत्रण/ फूड सेफ्टी प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता** करती है। यह सहायता HACCP/ ISO 22000/ FSSC 22000/ BRC/ SQF या किसी अन्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल (GFSI) द्वारा अनुमोदित प्रमाणन योजना/ मानकों के जरिए की जाती है।
- **मानव संसाधन एवं संस्थान (HRI)- अनुसंधान एवं विकास (R&D):** 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
  - ◊ इस योजना के तहत **पूर्ववर्ती कौशल विकास घटक** को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे PMFME (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का PM औपचारीकरण) योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG):** केंद्रीय बजट 2018-19 में "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर इसकी घोषणा की गई थी।
  - ◊ प्रारंभ में यह योजना **टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP मूल्य श्रृंखला के विकास** के लिए शुरू की गई थी।
  - ◊ इस योजना के दो घटक हैं:
    - » **दीर्घकालिक हस्तक्षेप - एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं:** केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत इसका दायरा बढ़ाकर जल्द खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया।
    - » **अल्पकालिक हस्तक्षेप:** 2020 के "आत्मनिर्भर भारत पैकेज" के तहत इसका दायरा TOP फसलों सहित सभी फलों और सब्जियों (यानी TOP से TOTAL) तक विस्तारित किया गया था।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए QCI की पहलें

- QCI ने विश्व स्तर पर स्वीकृत **कोडेक्स मानकों** के आधार पर **"IndiaGHP"** और **"IndiaHACCP"** विकसित किया है।
- ये योजनाएं भारत के खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग को महंगे और समय लेने वाले विदेशी प्रमाण-पत्रों के बिना वैश्विक मानकों के पालन को अपनाने में मदद करेंगी। कई देशों ने निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है:
  - मांस, मछली, डेयरी जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए **हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट (HACCP)।**
  - सभी खाद्य क्षेत्रों में **गुड हाइजीन प्रैक्टिस (GHP)।**

- **योजना के बीच पुनर्आवंटन:** मध्यावधि सुधार के आधार पर MoFPI के प्रभारी मंत्री द्वारा योजना के मूल आउटले के अधिकतम 25% का पुनर्आवंटन किया जा सकता है।
- **प्रतिबद्ध दायित्व हेतु बचत का उपयोग:** किसी भी योजना के लिए किए गए बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए किया जाएगा।
- **जागरूकता:** PMKSY की योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों को PMKSY के तहत पूरा लाभ मिल सके।

2.2 समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** प्री-स्कूल **से लेकर कक्षा 12 तक** विस्तारित स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु
- **संबंधित मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS)
- **योजना की अवधि:** 2021 से 2026 तक

अन्य उद्देश्य:

- सार्वभौमिक **पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण** को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) को मजबूत करना।
- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** समग्र शिक्षा योजना **विद्यालयी शिक्षा क्षेत्रक हेतु प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है।**
  - **इस योजना में निम्नलिखित तीन योजनाओं को शामिल किया गया है:**
    - ◊ **सर्व शिक्षा अभियान:** इसका उद्देश्य **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में तय मानदंडों और मानकों के अनुसार** विद्यालयों में अवसंरचना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार **सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्ति सुनिश्चित** करना है।
    - ◊ **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):** इसका उद्देश्य सभी के लिए **माध्यमिक कक्षा के स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार** करना है।
    - ◊ **शिक्षक प्रशिक्षण योजना:** इसका उद्देश्य **प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों के सेवा-पूर्व और**

सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक ठोस संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है।

- **वित्त पोषण पैटर्न:** वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए फंड शेयरिंग पैटर्न में केंद्र-राज्य अनुपात 8 पूर्वोत्तर राज्यों, 2 हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हेतु 90:10 के अनुपात में; **बिना विधान-मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित** तथा शेष सभी राज्यों और विधान-मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 60:40 के अनुपात में।

विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना

- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल और 156 मिलियन से अधिक छात्र तथा सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य समतामूलक और समावेशी कक्षा परिवेश सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- इस योजना में छात्रों के कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- योजना के तहत सभी बाल केंद्रित सहायता एक निश्चित अवधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अन्य प्रमुख पहलें**
  - **"सार्थक/ SARTHAQ': यहां सार्थक से आशय है;** "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन)"। यह योजना **NEP 2020 को लागू करने के लिए रोडमैप** निर्धारित करती है।
  - **निपुण भारत (NIPUN BHARAT):** यहां **निपुण**/ NIPUN से आशय है: "बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी)।
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप** से प्राप्त करे।
  - **फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS):** इसे कक्षा 3 के छात्रों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह आकलन **NCERT** द्वारा कराया जाता है।
  - **विद्या प्रवेश:** यह **NCERT** द्वारा विकसित **3 माह का खेल (प्ले) के माध्यम से लर्निंग का 'स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल'** है।
  - **विद्यांजलि 2.0**: यह एक वेब पोर्टल है। यह **समुदाय/ स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने या संपत्ति/ सामग्री/ उपकरण के रूप में योगदान** देने हेतु सीधे अपनी पसंद के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ संपर्क करने एवं जुड़ने में मदद करता है।
  - **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs):** इन विद्यालयों में **कक्षा 12** तक आवासीय और विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में लड़कियों के सभी छात्रावासों में इंसीनरेटर और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराना भी शामिल है।
  - **नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय:** इसके तहत **पहाड़ी इलाकों, छोटी बस्तियों और कम आबादी वाले क्षेत्रों** में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी वयस्क का संरक्षण प्राप्त नहीं है तथा जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता है।
  - **निष्ठा 4.0 (ECCE):** यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ऑनलाइन **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** (ECCE) है।
- **बालिका शिक्षा पर फोकस:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) को **कक्षा 6-8 को अपग्रेड करके कक्षा 6-12 तक** कर दिया गया है।
  - उच्च प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।
  - **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **डिजिटल शिक्षा पर ध्यान:** 5 वर्षों की अवधि तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में **'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड'** चलाया जा रहा है। **UDISE+, शगुन** जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत किया जाएगा।
- **शिक्षा शब्दकोश:** यह **स्कूली शिक्षा से संबंधित शब्दावलियों की सूची है।** इसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने तैयार किया है। r
- **प्रशासनिक सुधार:** एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना है।
- **समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क:** इसे DoSEL ने जारी किया है। यह फ्रेमवर्क **समग्र शिक्षा योजना के प्रत्येक घटक के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators: KPI)** उपलब्ध करवाता है। साथ ही, **प्रत्येक घटक के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय विवरण** प्रदान करता है।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में संशोधन:** सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षकों (स्पेशल टीचर्स) के स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात के संबंध में अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है। **अधिनियम के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए:**

- **प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** प्रत्येक दस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।
- **उच्च प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** कक्षा में पढ़ रहे प्रत्येक पंद्रह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

ENGLISH MEDIUM 2025: 10 NOVEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 10 नवंबर

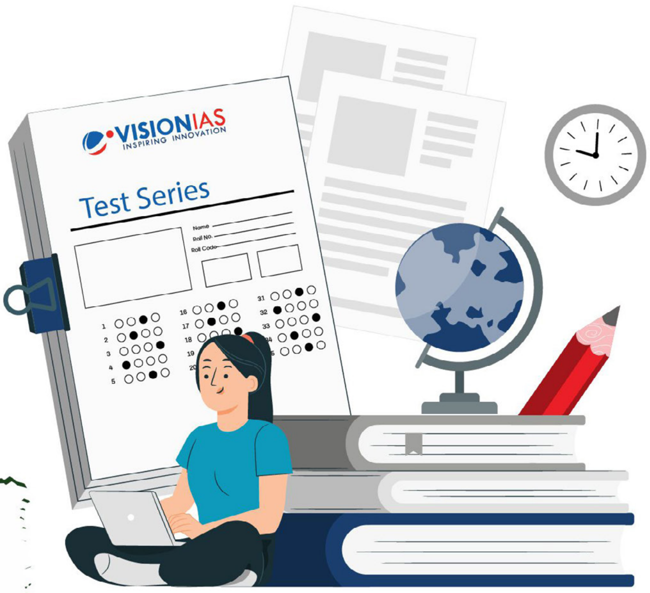

3. अपने ज्ञान का परीक्षण कीजिए (Test Your Learning)

Q1. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन कर्मयोगी का प्राथमिक उद्देश्य है:

(a) सरकारी कर्मचारियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

(b) सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण और कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके सिविल सेवाओं में सुधार करना।

(c) दक्ष सेवा वितरण के लिए सिविल सेवकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

(d) 2025 तक सभी सरकारी विभागों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करना।

Q2. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. योजना के सभी घटक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आते हैं।
2. जिस परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर है या जो पिछले 20 वर्षों में सरकारी आवास योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
3. मिशन में सार्वजनिक व्यय (40%) और लाभार्थी द्वारा योगदान सहित निजी निवेश शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

Q3. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के संदर्भ में, असत्य कथन की पहचान कीजिए:

(a) इसका एक वर्टिकल लाभार्थी द्वारा निर्माण (BLC) है।

(b) 3 लाख रुपये तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार सभी वर्टिकल्स के लिए पात्र हैं।

(c) योजना का उद्देश्य केवल घर बनाने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है।

(d) घरों को राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) कोड द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को अवश्य पूरा करना चाहिए।

Q4. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत प्रशासित है।
2. योजना के सभी घटक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Q5. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आवास अभाव मापदंडों के आधार पर की जा सकती है।
3. इस योजना की निगरानी जिला विकास समन्वय और निगरानी (DISHA) समिति द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q6. iGOT कर्मयोगी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(a) स्कूली शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना
(b) बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करना
(c) ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना
(d) वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

Q7. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना के घटकों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

घटक A - 20 मेगावाट तक की व्यक्तिगत क्षमता के लघु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
घटक B - स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
घटक C - ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q8. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
2. इसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 50 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q9. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है:

(a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना
(b) गरीब किसानों को फसल विशेष की खेती के लिए ऋण प्रदान करना
(c) वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना
(d) कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में शामिल स्वैच्छिक संगठनों को वित्तपोषित करना

Q10. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
2. इसमें मुद्रा कार्ड की एक विशेषता शामिल है, जो एक प्रकार का डेबिट कार्ड है।
3. तरुण श्रेणी के तहत 5 लाख रुपये से अधिक और 30 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

Q11. डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस मिशन के सभी घटक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत आते हैं।
2. एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो, न ही 2

Q12. वर्ष 2024 में लॉन्च किए गए एग्रीश्योर (AgriSURE) फंड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस फंड का मुख्य उद्देश्य केवल बड़ी कृषि सहकारी समितियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है।
2. यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q13. भारत में हाल ही में लॉन्च किए गए अमृत ज्ञान कोष पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है:

(a) शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(b) विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।
(c) भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना।
(d) भारत-केंद्रित केस स्टडी और शिक्षण संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने हेतु साझा ज्ञान रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करना।

Q14. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
2. ऑपरेशन ग्रीन्स इस योजना का एक उप-घटक है।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को क्रेडिट-लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

Q15. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है:
(a) भारत में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना।
(b) देश भर में जैविक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करना।
(c) कृषि विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना।
(d) टमाटर, प्याज, आलू जैसी प्रमुख कृषि कमोडिटी के लिए मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना।

Q16. समग्र शिक्षा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?
1. इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को एकीकृत किया गया है।
2. इसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा XII तक स्कूली शिक्षा की पूरी श्रृंखला को कवर किया जाता है।
3. वित्तपोषण व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 अनुपात में वितरित है।
4. यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1 और 4

Q17. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निपुण भारत पहल का प्राथमिक उद्देश्य है:
(a) स्कूली बच्चों में डिजिटल साक्षरता में सुधार करना।
(b) माध्यमिक शिक्षा के दौरान छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
(c) यह सुनिश्चित करना कि भारत में प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले।
(d) विश्वविद्यालय के छात्रों में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

Q18. शिशु, किशोर और तरुण निम्नलिखित में से किसकी योजनाएं हैं?
(a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(b) माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA)
(c) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(d) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

Q19. विद्यांजलि 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(a) स्कूल की अवसंरचना का विस्तार करना
(b) स्कूल-समुदाय संबंधों को बढ़ावा देना
(c) मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना
(d) ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल स्थापित करना

Q20. निष्ठा पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(a) लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करना
(b) स्कूलों में अवसंरचना का विस्तार करना
(c) छात्रों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान करना
(d) मध्याह्न भोजन में पोषण मानकों में सुधार करना

उत्तर

1	2	3	4
उत्तर: B	**उत्तर: B**	**उत्तर: C**	**उत्तर: B**

5	6	7	8
उत्तर: C	**उत्तर: C**	**उत्तर: B**	**उत्तर: A**

9	10	11	12
उत्तर: A	**उत्तर: B**	**उत्तर: B**	**उत्तर: B**

13	14	15	16
उत्तर: D	**उत्तर: C**	**उत्तर: D**	**उत्तर: A**

17	18	19	20
उत्तर: C	**उत्तर: B**	**उत्तर: B**	**उत्तर: A**

शुद्धि-पत्र:
प्रिय अभ्यर्थी,
"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन (मार्च 2024 - मई 2024)" डॉक्यूमेंट में प्रश्न संख्या 5 और 15 में टाइपोग्राफिकल अशुद्धि सामने आई है। सही प्रश्न और उत्तर इस प्रकार हैं:

Q5. भारत में बागवानी क्षेत्रक के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) को लागू करने हेतु कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार है?
(A) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)
(B) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
(C) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
(D) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
उत्तर: A

Q 15. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
(a) यह गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना है।
(b) यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी।
(c) सरकार ने इस योजना के तहत 50 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
(d) इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
उत्तर: C

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

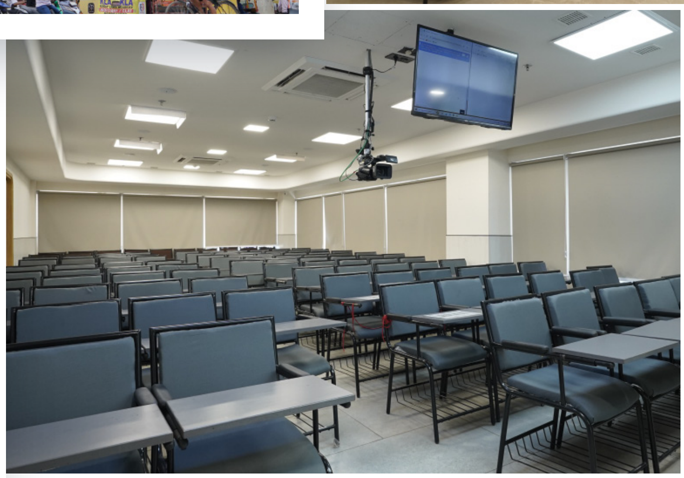

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन
ASHOK DUBEY SIR
MRITYUNJAY SIR
RAJEEV RANJAN SIR
SUNIL KUMAR SINGH SIR
हिंदी माध्यम टॉपर
1 AIR
Aditya Srivastava
53 AIR
मोहन लाल
136 AIR
अर्पित कुमार
1 AIR
Shubham Kumar
UPSC CSE 2020
454 AIR
Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022
468 AIR
Vikas Gupta
UPSC CSE 2022
605 AIR
Jatin Parashar
UPSC CSE 2022
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN
/VISION_IAS
/C/VISIONIASDELHI
VISION_IAS
/VISIONIAS_UPSC
AHMEDABAD BENGALURU BHOPAL CHANDIGARH DELHI JAIPUR JODHPUR GUWAHATI HYDERABAD LUCKNOW PRAYAGRAJ PUNE RANCHI

ENGLISH MEDIUM
9 JAN, 5 PM

हिन्दी माध्यम
17 JAN, 5 PM

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स
प्रीलिम्स 2025 के लिए मात्र 60 घंटे में

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

15 अक्टूबर

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

- **प्री–DAF सेशन:** यह DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट की सूक्ष्म समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सावधानीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।
- **DAF एनालिसिस सेशन:** अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।
- **एलोक्यूशन सेशन:** इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।
- **मॉक इंटरव्यू सेशन:** व्यक्तित्व परीक्षण की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।
- **व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन:** हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षण की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।
- **करेंट अफेयर्स की कक्षाएं:** करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।
- **टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन:** प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।
- **प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक:** अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक।
- **मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग:** स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें
7042413505, 9354559299
interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

AHMEDABAD | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI | SIKAR

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

1 AIR

Aditya Srivastava

2 AIR

Animesh Pradhan

5 AIR

Ruhani

6 AIR

Srishti Dabas

7 AIR

Anmol Rathore

9 AIR

Nausheen

10 AIR

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR

मोहन लाल

136 AIR

अर्पित कुमार

238 AIR

विपिन दुबे

257 AIR

मनीषा धार्वे

313 AIR

मयंक दुबे

517 AIR

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

AIR 136

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर

HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visionias hindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची